आ. एन. 35646/79
Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
लाइसेंस संख्या 24 - बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए. भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

283
फरवरी
2003

दिशा-निर्देश

मूलभूत सुविधाओं का वित्तपोषण

मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अत्यधिक महत्त्व और विभिन्न मूलभूत सेवाओं के विकास को दी जा रही उच्च प्राथमिकता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके बैंकों द्वारा मूलभूत सुविधाओं के वित्तपोषण के संबंध में दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

परिभाषा

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा किसी मूलभूत सुविधा के विकास या परिचालन और रखरखाव या विकास, परिचालन और रखरखाव कार्यों में लगी किसी कम्पनी को ऋण सुविधा मूलभूत सुविधाओं के लिए ऋण की परिभाषा में आयेगी। इस तरह की सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी में कोई परियोजना हो सकती है:

(क) कोई सड़क, जिसमें चुंगी वाली सड़क शामिल है, कोई पुल अथवा कोई रेल प्रणाली;

(ख) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसमें राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग के अन्य कार्यकलाप शामिल हैं;

(ग) कोई बंदरगाह, हवाई अड्डा, देश के अंदर जलमार्ग या देश में बंदरगाह;

(घ) कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, स्वच्छता एवं मल निकासन प्रणाली अथवा ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रणाली;

(ङ) दूर संचार सेवाएं, चाहे आधारभूत (बेसिक) हों अथवा सेलुलर, जिनमें रेडियो पेजिंग, देशी उपग्रह सेवा (अर्थात् दूर संचार सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनी के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित उपग्रह), ट्रंक कॉल का नेटवर्क, ब्रॉड बैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं;

(च) कोई औद्योगिक पार्क अथवा विशेष आर्थिक अंचल (ज़ोन);

(छ) बिजली उत्पादन अथवा उत्पादन और वितरण;

(ज) प्रेषण अथवा वितरण की नयी लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत प्रेषण अथवा वितरण;

(झ) इसी प्रकार की कोई अन्य मूलभूत सुविधा।

मानदंड

बैंक/वित्तीय संस्थाएं सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा शुरू की गयी तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य, आर्थिक दृष्टि से संभाव्य और बैंकों को स्वीकार्य परियोजनाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, वित्त पोषण के लिए स्वतंत्र हैं:

(क) मूलभूत सुविधाओं के लिए मंजूर की जाने वाली राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूलभूत सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की समग्र सीमा के अन्दर होनी चाहिए।

(ख) तकनीकी संभाव्यता, वित्तीय संभाव्यता और बैंक के लिए स्वीकार्य परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास अपेक्षित निपुणता होनी चाहिए। यह निपुणता मुख्य रूप से जोखिम विश्लेषण और संवेदनशीलता विश्लेषण के विशेष संदर्भ में होनी चाहिए।

(ग) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा हाथ में ली गयी परियोजनाओं के बारे में मीयादी ऋण केवल कंपनियों (अर्थात् कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा प्रासंगिक विधान के अंतर्गत स्थापित निगम) को ही स्वीकृत किये जाने चाहिए। साथ, ही इस तरह के मीयादी ऋण परियोजना के लिए रखे गये बजट संसाधनों के स्थान पर या उनके बदले में नहीं होने चाहिए। मीयादी ऋण बजट संसाधनों का पूरक तभी हो सकता है जब इस प्रकार की पूरक व्यवस्था पर विचार परियोजना के डिजाइन में ही किया गया हो। जहां इस प्रकार की सरकारी क्षेत्र की इकाइयां मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विशेष प्रयोजन प्रणाली (एसपीवी) शामिल कर सकती हैं, वहीं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये ऋण/निवेश राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। इस प्रकार का वित्तपोषण, चाहे ऋण देकर किया गया हो अथवा बांडों में निवेश के द्वारा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार की परियोजनाओं की संभाव्यता और बैंक को स्वीकार्यता के बारे में पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजना से इतना राजस्व मिलेगा कि वह ऋण चुकौती संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके और ऋण की चुकौती/किस्तों की अदायगी बजट संसाधनों से न करनी पड़े। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन प्रणालियों के वित्तपोषण के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि प्रदान करने के प्रस्ताव निगरानी की जा सकने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए हैं।

(घ) बैंक निजी क्षेत्र की उन विशेष प्रयोजन प्रणालियों के लिए भी ऋण दे सकते हैं जो वित्तीय दृष्टि से संभावनायुक्त हैं और केवल वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं। बैंक यह सुनिश्चित करें कि मूल/प्रायोजक कंपनी के दिवालिया होने या वित्तीय कठिनाइयों के कारण विशेष प्रयोजन प्रणाली की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

विषय सूची

	पृष्ठ
दिशा-निर्देश	
मूलभूत सुविधाओं का वित्तपोषण	1
बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों का समझौते द्वारा निपटान	3
विदेशी मुद्रा नियंत्रण	
प्रायोजित एडीआर/जीडीआर की विनिवेश आय	4
अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को और उदार बनाया गया	4
शाखा बैंकिंग	
निदेशकों को अग्रिम	4
विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण	4

वित्तपोषण के प्रकार

मूलभूत सुविधा परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक कार्यशील पूंजीगत वित्त, मीयादी ऋण, परियोजना ऋण, परियोजना कंपनी के बांडों और डिबेंचरों में अभिदान करके/अधिमान शेयर/इक्विटी शेयर लेकर ऋण सुविधा दे सकते हैं, जिसे अग्रिम दिया गया माने गये परियोजना वित्त के भाग के रूप में लिया गया हो। वे किसी अन्य रूप में भी निधिक अथवा गैर निधिक सुविधा दे सकते हैं।

वित्तपोषण में हिस्सेदारी

बैंक आइडीएफसी/अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ हिस्सेदारी के रूप में वित्तपोषण (टेक-आउट फाइनेंसिंग) व्यवस्था में भाग ले सकते हैं अथवा उनसे चलनिधि सहायता ले सकते हैं। बैंक वित्तपोषण में हिस्सेदारी से संबंधित अनुदेशों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

अंतर-सांस्थानिक गारंटियां

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों के लिए उन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटी देने पर बैंकों पर प्रतिबंध है, क्योंकि अपेक्षा यह की जाती है कि मूल ऋणदाता ऋण संबंधी जोखिम स्वयं उठाये, न कि गारंटी के जरिये ऋणों को प्रतिभूत करके इन जोखिमों को दूसरों पर टाल दे। दूसरे शब्दों में, ऋण संबंधी जोखिमों से अपने को अलग रखकर निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये अनुदेश फिलहाल वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक इन व्यवस्थाओं में व्यापक शिथिलता प्रदान करने के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं को दिये जाने वाले ऋणों की प्रमुख विशेषताओं, अर्थात् ऋणदाताओं में अपेक्षित उच्च मूल्यांकन कौशल और परियोजना की अवधि के अनुरूप अवधि वाले संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को उधार देने वाली अन्य संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी है, अलबत्ता, शर्त इसके लिए यह होगी कि गारंटी निर्गत करने वाले बैंक को परियोजना की लागत का कम-से-कम 5 प्रतिशत भाग निधिक शेयर के रूप में लेना होगा तथा सामान्य ऋण-मूल्यांकन, मॉनीटरिंग एवं परियोजना की बाद में निगरानी का भी काम करना होगा।

प्रवर्तकों की इक्विटी का वित्तपोषण

इससे पूर्व, बैंकों को सूचित किया गया था कि कंपनी की इक्विटी पूंजी में प्रवर्तक का अंशदान उसके अपने संसाधनों से होना चाहिए और बैंक अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए सामान्यतः अग्रिम प्रदान न करें। मूलभूत सुविधा क्षेत्र को दिये गये महत्त्व की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि कुछेक परिस्थितियों में इस नीति में छूट अपवाद स्वरूप दी जा सकती है, जो भारत में मूलभूत सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन अथवा परिचालन में लगी मौजूदा कंपनी में प्रवर्तक के शेयरों के अभिग्रहण हेतु वित्त प्रदान करने के लिए होगी। यह अपवाद निम्नलिखित स्थितियों में हो सकता है:

(क) बैंक वित्त मूलभूत सुविधाएं देने वाली मौजूदा कंपनियों के शेयरों के अभिग्रहण के लिए ही होगा। इसके अतिरिक्त, इस तरह के शेयरों का अभिग्रहण उन कंपनियों के मामले में होना चाहिए जहां मौजूदा विदेशी प्रवर्तक (और/अथवा देशी संयुक्त प्रवर्तक) सेबी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने बहुसंख्यक शेयरों का विनिवेश करने (जहां भी लागू हो) का स्वैच्छिक प्रस्ताव करते हों।

(ख) जिन कंपनियों को ऋण दिये जायें उनकी, अन्य बातों के साथ-साथ, शुद्ध माली हैसियत संतोषजनक होनी चाहिए।

(ग) जिन कंपनियों को वित्त प्रदान किया जाये, वे तथा उन कंपनियों के प्रवर्तक/निदेशक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रति चूककर्ता नहीं होने चाहिए।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणकर्ता का मूलभूत सुविधा वाली कंपनी में भारी हित है, बैंक वित्त अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी में प्रवर्तक के हिस्से का अभिग्रहण करने के लिए अपेक्षित वित्त के 50 प्रतिशत तक ही सीमित होना चाहिए।

(ङ) दिया जाने वाला वित्त ऋणकर्ता कंपनी की आस्तियों अथवा अभिग्रहीत कंपनी की आस्तियों पर होना चाहिए, न कि उस कंपनी अथवा अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी के शेयरों की जमानत पर। ऋणकर्ता कंपनी/अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी के शेयर अतिरिक्त जमानत के रूप में स्वीकार किये जायें, न कि प्राथमिक जमानत के रूप में। बैंक को प्रभारित जमानत विपणनयोग्य होनी चाहिए।

(च) बैंक हर समय निर्धारित मार्जिन रखना सुनिश्चित करें।

(छ) बैंक ऋणों की अवधि सात वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु, बैंकों के निदेशक मंडल परियोजना की वित्तीय सक्षमता के लिए खास मामलों में, आवश्यकता के अनुसार फेर-बदल कर सकते हैं।

(ज) यह वित्तपोषण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर होना चाहिए।

(झ) प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी शेयर के अभिग्रहण का वित्तपोषण करने वाले बैंकों को चाहिए कि वे उसे पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया अपने कुल अग्रिमों के (वाणिज्यिक पेपर सहित) संबंध में पूंजी बाज़ार को ऋण जोखिम संबंधी 5 प्रतिशत की विनियामक उच्चतर सीमा से अधिक न होने दें।

(ट) बैंक वित्त के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन

(i) सरकार की स्वाधिकृत संस्थाओं द्वारा हाथ में ली गयी मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसी परियोजनाओं की लाभप्रदता और स्वीकार्यता के प्रति काफी सतर्क रहें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना से संबंधित अलग-अलग घटकों और प्रतिलाभों को समुचित रूप से परिभाषित और मूल्यांकित किया जाता है। राज्य सरकार की गारंटियों को संतोषजनक ऋण मूल्यांकन के लिए उसका विकल्प नहीं माना जाना चाहिए और ऋणों/बांडों की अदायगी के लिए नियमित स्थायी अनुदेशों/आवधिक भुगतान अनुदेशों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी भी बैंक के साथ किसी सूचित व्यवस्था के आधार पर ऐसी मूल्यांकन अपेक्षाओं को कम नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण अक्सर विशेष प्रयोजन प्रणाली (स्पेशल पर्पज़ वेहिकल्स) के माध्यम से किया जाता है। इस तरह की परियोजनाओं के वित्तपोषण के काम के लिए ऋण देनेवाली एजेंसियों के पास विशेष मूल्यांकन-कौशल का होना आवश्यक होता है। बैंक/वित्तीय संस्थाएं ऋण संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने एवं परियोजनाओं की प्रगति/उनके कार्यनिष्पादन पर नजर रखने के लिए उपयुक्त अनुवीक्षण समितियों/विशेष कक्षों के गठन पर विचार कर सकते हैं। प्रायः, ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली निधि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि इनके लिए संघीय सहायता व्यवस्था (कंसॉर्शियम एरेंजमेंट) या समूहन व्यवस्था (सिंडीकेशन ऐरेंजमेंट) के तहत एक से अधिक बैंक वित्त उपलब्ध कराये जायें। ऐसी परिस्थितियों में, इन परियोजनाओं को ऋण देने में सहभागी बैंक/वित्तीय संस्थाएं अपनी ओर से मूल्यांकन के प्रयोजन से, अग्रणी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा तैयार की गयी मूल्यांकन रिपोर्ट देख सकते हैं या उस परियोजना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करा सकते हैं।

विवेकपूर्ण अपेक्षाएं

ऋण सीमाएं

सामूहिक ऋणकर्ताओं की ऋण सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के मानदंड से 10 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण की मंजूरी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं से संबंधित हो। एकल ऋणकर्ता को ऋण जोखिम की सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के मानदंड से 5 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है बशर्ते अतिरिक्त ऋण की मंजूरी मूलभूत सुविधाओं के लिए हो।

प्रतिभूतिकृत कागजात के लिए जोखिम भार का निर्धारण

बैंक मूलभूत सुविधा से संबंधित प्रतिभूतिकृत कागजात (पेपर) में निवेश के बारे में पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत के रियायती जोखिम भार का निर्धारण कर सकते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन होगा:

(क) मूलभूत सुविधा के अंतर्गत उपर्युक्त पैरा 1 में निर्धारित शर्तें पूरी होनी चाहिए;

(ख) मूलभूत सुविधा को आय के अर्जन/नकदी प्रवाह का एक ऐसा स्रोत होना चाहिए, जिससे प्रतिभूतिकृत कागजात की अदायगी/चुकौती हो सके।

(ग) मूल्य निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रतिभूतिकृत कागज़ात को कम-से-कम एएए श्रेणी के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए और वह मूल्यांकन प्रचलन में और वैध होना चाहिए।

(i) मूल्यांकन की श्रेणी निर्गम की तारीख को एक महीने से अधिक पुरानी न हो, और मूल्य निर्धारक एजेंसी का मूल्यनिर्धारण का आधार निर्गम की तारीख को एक वर्ष से अधिक पुराना न हो तथा मूल्य निर्धारण पत्र और मूल्य निर्धारण औचित्य प्रस्तुत किये गये कागज़ात का एक हिस्सा हो।

(ii) द्वितीयक बाजार से अभिग्रहण के मामले में, शेयर-निर्गम के एएएमूल्यांकन को प्रभावी और संबंधित मूल्य निर्धारक एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से होना चाहिए।

(iii) प्रतिभूतिकृत कागजात को निवेश/उधार देने वाली संस्था की बहियों में अर्जक आस्ति के रूप में दर्ज होना चाहिए।

आस्ति-देयता प्रबंध

मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के दीर्घावधि वित्तपोषण से आस्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, विशेष रूप से तब जब ऐसा वित्तपोषण किसी बैंक की देयताओं की अवधिपूर्णता तालिका के अनुरूप न हो। इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी आस्तियों तथा देयताओं की स्थिति पर भली-भाँति निगाह रखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के कारण नकदी संबंधी असंतुलन के शिकार न हो जायें।

प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

मूलभूत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। इसलिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण-प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्पष्ट कार्यविधि/प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए और निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अनिर्णीत रह गये आवेदन-पत्रों की समीक्षा के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग शुरू करनी चाहिए। वित्तपोषण के काम में शामिल प्रत्येक संस्था द्वारा एक ही प्रकार का मूल्यांकन बार-बार कराये जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे विलम्ब होता है तथा प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट किये गये मानदंडों को, बैंकों को, मोटे तौर पर, स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही, परियोजना के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखने के लिए एक व्यवस्था शुरू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऋण का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिस प्रयोजन के लिए वह मंजूर किया गया था।

टेक-आउट वित्तपोषण/नकदी सहायता

हिस्सेदारी (टेक-आउट) वित्तपोषण व्यवस्था

टेक-आउट (हिस्सेदारी) वित्तपोषण व्यवस्था वस्तुतः एक ऐसा तरीका है जिससे बैंक, मूलभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं को लम्बी अवधि के ऋण देने के कारण होने वाले आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता संबंधी असंतुलनों से बच सकेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत मूलभूत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले बैंकों की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी या किसी अन्य वित्तीय संस्था के साथ यह व्यवस्था होगी कि वह अपनी लेखाबहियों की बकाया राशियों को पूर्वनिर्धारित तरीके से उस संस्थाओं को अंतरित कर सके। आइडीएफसी और भारतीय स्टेट बैंक ने टेक-आउट वित्तपोषण के बारे में कई तरीके तय किए हैं जिनसे बैंकों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी और नकदी, आस्ति-देयता असंतुलन, परियोजना-मूल्यांकन-कौशल की सीमित उपलब्धता इत्यादि से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। इन दोनों संस्थाओं ने एक मॉडल करार भी तैयार किया है जो विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, परियोजना संबंधी अन्य ऋण-दस्तावेजों के साथ, दस्तावेज के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक और आइडीएफसी के बीच किया गया करार अन्य बैंकों के लिए, आइडीएफसी या अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रायः उसी तरह का करार करने के लिए संदर्भमूलक दस्तावेज का काम कर सकता है।

आइडीएफसी द्वारा नकदी सहायता

टेक-आउट वित्तपोषण संबंधी व्यवस्था के विकल्प के रूप में आइडीएफसी और भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकों को नकदी सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी संबंधित बैंक को एक निश्चित अवधि (मान लीजिए पाँच वर्ष) के बाद पूरा बकाया ऋण (मूलधन + वसूला न गया ब्याज) अथवा उसके एक निश्चित भाग की धनराशि, मंजूरी के समय ही, पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध कराने का वचन देता है। परियोजना संबंधी ऋण-जोखिम संबंधित बैंक का होगा, न कि आइडीएफसी का। बैंक आइडीएफसी को ऋण की राशि तथा उस पर देय ब्याज, निर्धारित शर्तों के अनुसार चुकाएगा। चूंकि बैंक के ऋण संबंधी जोखिम का उत्तरदायित्व आइडीएफसी लेगी, इसलिए आइडीएफसी के विचार से बैंक को जितना जोखिम होगा, उसी के हिसाब से वह पुनर्वित्त की राशि पर ब्याज दर निश्चित करके तदनुसार ब्याज लेगी (अधिकांश मामलों में यह ब्याज दर आइडीएफसी की मूल उधार दर के आसपास ही होगी)। बैंक आइडीएफसी की पुनर्वित्त सहायता से खास तौर से लाभान्वित होंगे क्योंकि उनके पास परियोजनाओं के मूल्यांकन का अपेक्षित कौशल भी उपलब्ध है और परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभिक नकदी भी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक आधारभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण के दायरे से बाहर रखे गये हैं।

बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों का समझौते द्वारा निपटान

ऋणकर्ताओं को अपनी देय बकाया राशियों के निपटान के लिए आगे आने का एक और अवसर प्रदान किया जा सके, इस दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के समस्त बैंकों को सूचित किया है कि वे अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए नये दिशा-निर्देश एक समान रूप से लागू करें। ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के परामर्श से जारी किये गये हैं। नये दिशा-निर्देश 10 करोड़ रुपये की निर्धारित मूल्य की उच्चतम सीमा से कम की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए सरल, गैर विवेकपूर्ण और भेद भाव से परे तंत्र प्रदान करते है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित समय के भीतर अनर्जक आस्तियों के स्टॉक से प्राप्य राशियों की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करें। अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की पिछली योजना की समीक्षा से यह बात सामने आयी थी कि इस तंत्र के माध्यम से अनर्जक आस्तियों की वसूली की प्रगति मामूली रही थी। संशोधित दिशा-निर्देशों में लघु क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों से संबंधित 10 करोड़ रुपये की निर्धारित उच्चतम सीमा से कम की अनर्जक आस्तियां शामिल होंगी। अलबत्ता, जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले दिशा-निर्देशों में शामिल नहीं होंगे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी क्षेत्रों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्राप्त राशियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

10 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियां

व्याप्ति

(क) संशोधित दिशा-निर्देशों में सभी क्षेत्रों की, चाहे उनके कारोबार का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, ऐसी सभी अनर्जक आस्तियां शामिल होंगी, जो 31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानि वाली हो गयी हैं और निर्दिष्ट तारीख को जिनकी बकाया जमाराशि 10 करोड़ रुपये और उससे कम हो।

(ख) दिशा-निर्देशों में ऐसी अनर्जक आस्तियां भी शामिल होंगी, जिन्हें 31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली श्रेणी में आ गयी हों।

(ग) इन दिशा-निर्देशों में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों द्वारा शुरू की गयी कार्रवाई के मामले तथा न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामले भी शामिल होंगे, बशर्ते न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति डिक्री प्राप्त की गयी हो।

(घ) जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे।

(ङ) ऋणकर्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2003 को कारोबार की समाप्ति तक होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जाँच कार्य 31 अक्तूबर 2003 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

निपटान राशि और निर्दिष्ट तारीख

(i) 31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानि वाली आस्तियां: अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के संदर्भ में संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि, प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को खाते में बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में खाते को वर्गीकृत किये जाने की तारीख को बकाया राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का, यथास्थिति, 100 प्रतिशत होगी।

(ii) 31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत ऐसी अनर्जक आस्तियां जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली बन गयी हों: 31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत जो अनर्जक आस्तियां बाद में संदिग्ध या हानि वाली बन गयी हों, उनके संदर्भ में वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख को विद्यमान राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का, यथास्थिति, 100 प्रतिशत तथा पहली अप्रैल 2000 से अंतिम भुगतान की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
27 फरवरी तथा 28 फरवरी 2003 को भायखला डॅटनी डाक घर से प्रेषित

(iii) अदायगी: उपर्युक्त दोनों ही मामलों में समझौते द्वारा हिसाब लगायी गयी राशि, हो सके तो एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, जहां ऋणकर्ता संपूर्ण राशि एकमुश्त अदा करने में असमर्थ है, वहां निपटान की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत उसी समय अदा किया जाना चाहिए और 75 प्रतिशत की शेष राशि, समझौते की तारीख से अंतिम अदायगी की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज सहित एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में वसूल की जानी चाहिए।

(iv) मंजूर करनेवाले प्राधिकारी :समझौते द्वारा निपटान तथा बाद में माफी या छूट या बट्टे खाते डालने की मंजूरी के संबंध में निर्णय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।

(v) भेदभाव रहित व्यवहार: बैंकों को चाहिए कि वे बिना किसी भेदभाव के संशोधित योजना के अंतर्गत आनेवाली सभी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करें और संबंधित अधिकारी द्वारा निपटान की प्रगति और ब्यौरों की मासिक रिपोर्ट अगले उच्च अधिकारी तथा अपने केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। बैंकों को चाहिए कि पात्र चूककर्ता ऋणकर्ताओं को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी बकाया देय राशियों के एक बार में निपटान के अवसर का लाभ उठाने के लिए व्यापक प्रचार करें और 28 फरवरी 2003 तक नोटिस दें। विभिन्न माध्यमों से इन दिशा-निर्देशों के पर्याप्त प्रचार को अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(vi) रिपोर्ट: बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट हर तिमाही में निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति रिज़र्व बैंक को भी भेजी जाये।

10 करोड़ रुपये से अधिक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियां

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना चाहिए और निदेशक बोर्ड द्वारा अपनी ऋण वसूली नीति के भाग के रूप में इन अनुदेशों के अंतर्गत न आने वाली अनर्जक आस्तियों के एक बार में निपटान के संबंध में नीति संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए। किसी ऋणकर्ता के लिए निपटान संबंधी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में कोई व्यतिक्रम या इनसे हटकर कार्रवाई का प्रस्ताव हो तो वह केवल निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

प्रायोजित एडीआर/जीडीआर की विनिवेश आय

भारतीय कंपनियों को प्रायोजित एडीआर/जीडीआर योजना के माध्यम से, विदेशी एक्सचेंजों में एडीआर/जीडीआर सूचीबद्ध करने को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि भारतीय कंपनी के निवासी शेयर धारकों को उनकी बिक्री आय को विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह निर्णय और अधिक उदारता लाने के एक उपाय के रूप में लिया गया है। उक्त सुविधा अगली सूचना तक उन कम्पनियों के लिए उपलब्ध रहेगी जिन्होंने अपने शेयरों को एडीआर/जीडीआर में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव किया है। अलबत्ता, इस तरह के परिवर्तन के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, निवासी को ऐसी प्राप्त बिक्री आय को उनके अपने विकल्प पर भारत में विदेशी मुद्रा अर्जक/निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) (ईईएफसी/आरएफसी(डी)) खाते में या अन्य रुपया खाते में जमा करने की अनुमति है।

योजना के अंतर्गत निवेश की आय, अब अनिवासी बन चुके, निवासियों द्वारा प्राप्त उनके विदेश में विदेशी मुद्रा खाता अथवा भारत में किसी खाते में अपने विकल्प के अनुसार जमा करने के लिए भी पात्र होंगी।

इससे पूर्व, भारतीय कम्पनियों को, इस विषय पर कानूनों के अनुपालन की शर्त पर अपने शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों पर किसी विदेशी डिपाजिटरी के पास एडीआर/जीडीआर के निर्गम प्रायोजित करने की अनुमति थी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को और उदार बनाया गया

निजी यात्रा के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक तथा कारोबारी यात्रा के लिए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/प्रशिक्षण/चिकित्सकीय इलाज से संबंधित यात्राओं के लिए भी 25,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा का लाभ उठाने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की अब आवश्यकता नहीं होगी यदि ये व्यय अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के ज़रिए किये जाते हैं।यह सुविधा कार्ड जारीकर्ता द्वारा निर्धारित की जानेवाली निवासियों की ऋण-सीमा की शर्त के अधीन सभी निवासियों को उपलब्ध है। अलग-अलग व्यक्ति और साथ ही साथ निगम भारत में किसी भी कार्ड जारीकर्ता से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

अलबत्ता, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के बाहर अथवा भारत के भीतर क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल के ज़रिए किये जानेवाले व्यय पर फेमा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कोई अलग से उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

विदेश की यात्रा से जुड़े व्ययों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों को किसी भी ऐसे प्रयोजन, उदाहरण के लिए पुस्तकों को आयात, डाउनलोड किये जानेवाले सॉफ्टवेयरों की खरीद अथवा निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य मद के आयात के लिए इंटरनेट पर उपयोग में लाया जा सकता है जिसके लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है। इंटरनेट के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल के लिए कोई सकल मौद्रिक अधिकतम सीमा अलग से निर्धारित नहीं की गयी है।

अलबत्ता, यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों को इंटरनेट पर अथवा अन्यथा प्रतिबंधित मदों, उदाहरण के लिए लॉटरी टिकटों, प्रतिबंधित अथवा अश्लील पत्रिकाओं की खरीद, जूएबाजी में हिस्सेदारी, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान आदि के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इस तरह की मदों/गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है।

शाखा बैंकिंग

कॉनफ्लिक्ट डायमण्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है कि अवैध रूप से खान से निकाले और कारोबार किये गये अपरिष्कृत हीरे देश में नहीं लाये जाते हैं। यह सूचना अन्य सभी के साथ भारत द्वारा अपनायी गयी संयुक्त राष्ट्र अधिदेशाधीन किबर्ले प्रक्रिया प्रमाणपत्र योजना के अनुसरण में जारी की गयी थी। इस संबंध में विभिन्न उपाय किये गये हैं, जिनमें भारत में हीरों की आयात की प्रणाली के साथ किबर्ले प्रक्रिया प्रमाणपत्र (केपीसी) अनिवार्यत: होना, भी शामिल है। इसी तरह, भारत से निर्यात के लिए केपीसीएस का इस आशय का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है कि, इस प्रक्रिया में कोई कॉनफ्लिक्ट/अपरिष्कृत हीरों का उपयोग नहीं किया गया है। ये केपीसी आयात/निर्यात के मामले में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, जो केपीसीएस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात प्राधिकारी के रूप में नामित है, द्वारा सत्यापित/वैधीकृत किये जाएंगे। अतएव, बैंक अपने ऐसे सभी ग्राहकों से, जिन्हें हीरे से संबंधित किसी भी तरह का कारोबार करने के लिए ऋण दिया जाए, निर्धारित फार्मेट के अनुसार आशोधित वचनपत्र प्राप्त करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक केपीसीएस के दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं। बैंक, संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के प्रावधानों के किसी प्रकार भी उल्लंघन की जानकारी, जब भी कभी मिले तो भारतीय रिज़र्व बैंक को तुरंत अवगत कराने की वर्तमान प्रणाली, को जारी रखें।

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

निर्यातकों को पीसीएफसी/ईबीआर के लिए विदेशी मुद्रा निधि के स्रोत उपलब्ध कराने में बैंकों को और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार के ऋण देने के लिए बैंकों को उधार ली गई विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। वे घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में स्वैपों के क्रय-विक्रय से सृजित विदेशी मुद्रा निधियों का भी उपयोग कर सकते हैं बशर्ते वे अनुमोदित सकल अंतराल सीमा का पालन करते हों।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**